कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून/टिहरी गढवाल।
पत्रांकः न–9/स्कू00म0मा0-T-PO-19-2021 दिनांकः मार्च 30, 2021

सेवा में,

प्रधानाचार्य
राजकीय इण्टर कालेज, छाम
कण्डीसौंड, थौलधार
जनपद–टिहरी गढ़वाल

महोदय,

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एंव आपात सेवा उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर 49647309 दिनांक 27.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा छाम, कण्डीसौंड (थौलधार), जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्मित राजकीय इण्टर कालेज भवन (ATAL UTKRISHT SHIV SINGH BISHT GIC) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत शैक्षणिक भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी नई टिहरी द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 28.03.2021 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।
3. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत स्कूल भवन के दो ब्लॉक के (भूतल एवं प्रथम तल) में निर्मित है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत स्कूल भवन में 05 हजार लीटर क्षमता का वाटर टैंक एवं 1500 लीटर क्षमता का टैरिस टैंक का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत स्कूल भवन में 03 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त स्कूल परिसर में 03 माह के अन्तर्गत निम्नांकित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने आवश्यक हैः–

1. प्रश्नगत स्कूल परसिर में स्थित 15 हजार रिजर्व भूमिगत फायर स्टेटिक टैंक पर फायर ड्रा आउट तथा फायर इनलेट सिस्टम का प्राविधान किया जाए।
2. प्रश्नगत स्कूल परिसर में 05 लीटर क्षमता के टैरेस टैंक का प्राविधान कर टैरिस टैंक से सम्बद्ध डाउन कमर पर होजरील का प्राविधान इस प्रकार किया जाए जो कि प्रत्येक ब्लॉक के भवनों के प्रत्येक तल के प्रत्येक स्थान को कवर कर सके।
3. प्रश्नगत स्कूल परिसर में मेनुवली ओपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम (एम0सी0पी0) का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
4. प्रश्नगत स्कूल भवन के प्रत्येक तल पर निर्दिष्ठ स्थानों पर मानको के अनुसार प्राथमिक अग्निशामकों (फायर एक्सटिंग्यूशरों) का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
5. प्रश्नगत शैक्षणिक भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्र संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।
6. प्रश्नगत स्कूल भवन मे फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर–101, 01376–233611 एंव पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर–100, 112 एवं एम्बूलेन्स का टेलीफोन नं0–108 अंकित किया जाना आवश्यक है।
7. प्रश्नगत स्कूल भवन के निकास मार्ग/सैट बैक को सदैव अवरोध रहित रखा जाना आवश्यक है।
8. प्रश्नगत शैक्षणिक भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर छाम, कण्डीसौंड (थौलधार), जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्मित राजकीय इण्टर कालेज भवन (ATAL UTKRISHT SHIV SINGH BISHT GIC) हेतु उपरोक्त शर्तो के आधार पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नही है। वशर्ते शैक्षणिक भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रधानाचार्य प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चत करेंगें। भवन स्वामी/सोसाइटी/ प्रधानाचार्य को उक्त भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन एवं आपात सेवा, टिहरी गढवाल से करवाकर उक्त व्यवस्था का कार्यशील होने का प्रमाण पत्र (Annual Clearance) अवश्य लेना होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेगें ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(अरु0 एस0 खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून/टिहरी।

उपरोक्त व्यवस्थायें विद्यालय द्वारा कर ली गई हैं

प्रधानाचार्य
अटल उत्कृष्ट शिव सिंह बिष्ट
रा0 इ0 का0 छाम
थौलधार (टि0ग0)